

आदेश
कार्यवाही के
उपपणी ता. 3

क्रमांक एवं उपपक्ष की तिथि १	पदाधिकारी का आदेश २	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
17.11.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने - अपने पक्ष में दायर मामले के निष्पादन हेतु अपना - अपना पक्ष समर्पित किया गया है। देखा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा- 20 अर्न्तगत आवेदक द्वारा अपनी पुत्री को भूमि दान दिए जाने हेतु अनुमति की मांग की गयी। लेकिन सुनवाई के क्रम में आवेदक की मृत्यु दिनांक - 13.04.2020 को हो चुकी है। (मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है।) अतएव विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित आवेदन द्वारा किए गए अनुरोध तथा आवेदक की मृत्यु की स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का अनुपालन किया जाना संभव नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्यवाई को स्थगित किया जाता है। <u>विज्ञ अधिवक्ता को दिखावें।</u> लेखापित एवं संशोधित।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	Seen Aditya Biswas Raj 26/11/21 Adv Seen Chandra Shekhar Prasad Singh Advocate 27/11/2021